



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-273002  
CG-DL-E-30052026-273002

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2609]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 2609]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

का.आ. 2702(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 2 के खंड (89) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संहिता के अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए पंद्रह हजार रुपए (₹15,000) प्रति माह को मजदूरी सीमा के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. आर-12025/01/2026-एसएस-II]

तेजस्वी एस. नायक, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2026

**S.O. 2702(E).**— In exercise of the powers conferred by clause (89) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby notifies rupees fifteen thousand (₹15,000) per month as the wage ceiling for the purposes of Chapter III of the said Code.

[F. No. R-12025/01/2026-SS-II]

TEJASWI S. NAIK, Jt. Secy.